113

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 841–दो/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 29–3–12 – पारित व्दारा – नायव तहसीलदार मुंगावली – प्रकरण कमांक 8 अ–12/2011–12

1– बल्देव सिंह पुत्र रामसिंह कटारिया

2– रूप सिंह पुत्र बल्देव सिंह कटारिया

दोनों ग्राम सोपरा तहसील मुंगावली

जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश ––आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती संगीता पत्नि मनोज जैन

ग्राम बहादुरपुर तहसील मुंगावली

जिला अशोकनगर , मध्य प्रदेश –– अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री वृजेन्द्र सिंह धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

आ दे श
(आज दिनांक 18 – 5 –2016 को पारित)

यह निगरानी नायव तहसीलदार, मुंगाववली द्वारा प्रकरण कमांक 8 अ–12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 29–3–12 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदार मुंगावली के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके स्वामित्व की ग्राम सोपरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 125/1 ख, 125/1 घ, 125/6

की सीमांकन शुल्क जमा कर सीमांकन करने की प्रार्थना की, जिस पर आवेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि उक्तांकित भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व घोषणा का दावा व्यवहार न्यायालय में लम्बित है इसलिये सीमांकन न किया जाय। नायव तहसीलदार मुंगावली ने आपत्ति आवेदन पर उभय पक्ष को सुनकर प्रकरण क्रमांक 8 अ-12/11-12 में अंतरिम आदेश दिनांक 29-3-12 पारित किया तथा फसल कटने के उपरांत सीमांकन दल गठित कर सीमांकन कराने का निर्णय लिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुना तथा आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव आवेदकगण की ओर से लेखी बहस में दर्शाए गए तथ्यों के अवलोकन से प्रकरण में विचार किया जाना है कि व्यवहार न्यायालय में स्वत्व का दावा लम्बित रहते हुये क्या रिकार्डेड भूमिस्वामी की भूमि का सीमांकन किया जा सकता है अथवा नहीं ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही नहीं है अपितु प्रशासनिक कार्यवाही है । सीमांकन कार्यवाही से किसी कृषक अथवा व्यक्ति विशेष के स्वत्व का प्रश्न विनिश्चित नहीं होता, अपितु प्रत्येक रिकार्डेड भूमिस्वामी शासकीय अभिलेख में उसके नाम अभिलिखित भूमि के सीमा-चिन्हों को इस धारा के अधीन चिन्हांकित कराने हेतु स्वतंत्र है। यदि

रिकार्डेड भूमि स्वामी के स्वत्व की भूमि में माननीय व्यवहार न्यायालयों व्दारा स्वत्व घोषणा कर शासकीय अभिलेख में बदलाव किया जाता है - माननीय व्यवहार न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होने से तद्नुसार पालन हेतु राजस्व न्यायालय बाध्य हैं, जिसके कारण विचाराधीन प्रकरण में रिकार्डेड भूमिस्वामी की भूमि के सीमांकन की मांग पर कार्यवाही रोकी जाना उचित नहीं है। मोहनलाल विरूद्ध रामप्रताप 2003 (1) MPHT 66= 2003 राजस्व निर्णय 219 का न्यायिक दृष्टांत है कि " राजस्व अधिकारी व्दारा सीमांकन किये जाने का क्षेत्राधिकार प्रयुक्त किया जाता है। सिविल न्यायालय व्दारा कृषि भूमि की नप्ती एंव सीमांकन तथा उसके चिन्ह अंकित किये जाने का क्षेत्राधिकार प्रयुक्त नहीं किया जाता है।" अतएव नायव तहसीलदार मुंगावली व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 29-3-12 से लिया गया निर्णय उचित प्रतीत होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायव तहसीलदार, मुंगाववली द्वारा प्रकरण क्रमांक 8 अ-12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 29-3-12 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर